

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/235
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00205
CICOM/R/2018/00713

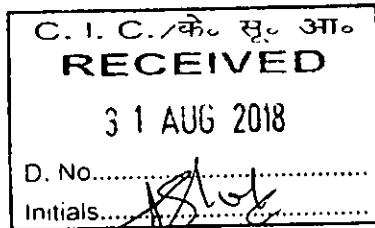
दिनांक: 31.08.2018

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता,
जी-8/56, प्रथम तल,
सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली - 110089.

निर्णय की तारीख: 31.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.07.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.08.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	411/30.08.2018 (1970/29.08.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 10.07.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार विन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में पत्र सं. CIC/FAA/2018/Dy. No.128695/Misc. दिनांक: 18.05.2018 का भी उल्लेख किया गया है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00713/CR-II दिनांक 23.07.2018 के माध्यम से आंशिक सूचना प्रदान की गई है तथा पूर्ण सूचना प्रदान करने हेतु उक्त आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय को अग्रसारित किया गया है। तदुसार श्री आर. पी. खोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए। पत्र सं. CIC/FAA/2018/Dy. No.128695/Misc. दिनांक: 18.05.2018 प्रथम अपील आदेश सं. CIC/AA/A/2018/87 के अनुपालन से संबंधित था, यदि प्रथम अपील आदेश का अनुपालन संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है तो अपीलकर्ता केन्द्रीय सूचना आयोग में नियमानुसार द्वितीय अपील दाखिल करना अपेक्षित होता है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2. श्री आर. पी. खोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।